

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोगिन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रायानाचार्य/प्रबन्धक,
आर०आई०एस० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र,
आगह, गोरानारिक, गिला-हुतानापुर।

पत्रांक:

/टी-३/रा०प०/गा०रा०संस्तुति लखनऊ दिनांक :

19/08/2009

विषय:- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औपचारिक केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का रथायी राम्भन प्रदान किये जाने के बारे में महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी०जी०ई०टी० नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के राम्भन

में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के राम्भन में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संरक्षण से राम्भनित रथायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28/06/2009 पर दिनांक 17/08/2009 को महानिदेशालय, सेवायोगिन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में स्थायी व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण के उप समिति द्वारा आपके संरक्षण से राम्भनित रथायी समिति की उत्तरा०निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जी निर्णय लिया गया है। उत्तरा०निरीक्षण व्यवसायवार नीचे अधिका० किया जा रहा है-

क्रम सं०	प्रबन्धक/एकक जिनक लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी हृदयः न को अनुरोद किया गया।	अप्रूपता		
		स्थायी समिति द्वारा	डी०जी०ई०टी० द्वारा	
1	2	3	4	5
1	Electrician 2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR- 28/06/2009 W.e.f. Aug 2009
2	Fitter 2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	

DGET-6/24/166/2009-TC DATED 17/08/2009

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) इस०सी०आई०आर०-रथायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) इस०आई०आर०-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी०आई०आर०-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) गूरो०-विचाराधीन
- (5) एन०आर०-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन०सी०-विचार नहीं किया गया।

2 आपस अपेक्षा की जाती है कि भारत नरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समन्वयनात् करके अपनी आत्मा बिन्दुवार साह्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अधिसन्देश प्रेषित करे। ताकि अधिस कार्यवाही की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत नरकार द्वारा वहि आपके संस्थान के वाचित व्यवसायों के नाम्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों से प्रोत्ता० न करे। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों का आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्भिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(राम्भन देव)
अपर निर्देशक। निर्देशक। (प्रशि०/शिक्षा)

प्राप्ति० २८/८/०९/३/रा०प०/गा०रा०संस्तुति/

तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 संयुक्त निदेशक (प्रशि०/शिक्षा) लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान देता० संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्वार से अवगत करायें।
- 2 संबंधित संस्थान / केन्द्र की विवितगत पत्रावती हेतु।
- 3 गाई काँडल हेतु।
- 4 अपनिदेशक व्यवसायिक परीक्षा परिषद, गतीगत, लखनऊ।

(राम्भन देव)
अपर निर्देशक। (प्रशि०/शिक्षा)